आई.टी. सेल
6

बराबर कला एवं विकास परिषद, जहानाबाद।

(आम सूचना)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बराबर कला एवं सांस्कृतिक विकास परिषद्, जहानाबाद के बराबर स्थित जलपान गृह की बंदोवस्ती वर्ष–2016–17 के लिए अस्थायी बन्दोवस्ती डाक के आधार पर निम्नांकित शर्तों के अधीन की जाएगी।

1. बन्दोवस्ती में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र दिनांक–11.03.2016 को 03.00 बजे अपराहन् तक जिला योजना कार्यालय में जमा करना होगा। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र जिला योजना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
2. बन्दोबस्ती में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को सुरक्षित जमा राशि मो0–2,43,800/–(दो लाख तैंतालीस हजार आठ सौ रू0) की दस प्रतिशत राशि अर्थात 24,380/– (चौबीस हजार तीन सौ अस्सी रू0) मात्र दिनांक 11.03.2016 को 03.00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय में जमा करना होगा।
3. सफल डॉक वक्ता द्वारा जमा की गयी सुरक्षित जमा की राशि का समायोजन बन्दोवस्ती की राशि में एक मुश्त कर ली जाएगी तथा शेष व्यक्तियों को सुरक्षित जमा की राशि वापस कर दी जाएगी।
4. बंदोवस्ती लेने वाले व्यक्ति को बराबर कला एवं सांस्कृतिक विकास परिषद्, जहानाबाद के सभी नियमों का पालन करना होगा। जलपान गृह का उपयोग किसी भी तरह के गैरकानूनी एवं प्रतिबंधित व्यवसायों के लिए नहीं करेंगे और जलपान गृह का उपयोग उसी कार्य के लिए करेंगे जिसके लिए उन्हें जलपान गृह की बंदोवस्ती किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में जलपान गृह को किसी भी दूसरे व्यक्ति को किरायें पर नहीं देंगे।
5. जलपान गृह हेतु निर्मित भवन को किसी भी प्रकार की क्षति बंदोवस्तधारी नहीं पहुँचायेंगे एवं सुरक्षा तथा रख–रखाव की जबावदेही बंदोवस्तधारी पर ही होगी। जलपान गृह का प्रतिवर्ष रंग–रोगन कराना होगा। कचड़े को बराबर परिसर से दूर उत्सर्जित करना होगा।
6. बंदोवस्तधारी जलपान गृह हेतु निर्मित भवन में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं करायेंगे और न ही उसकी संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन करेंगे।
7. बंदोवस्तधारी द्वारा जलपान गृह के संचालन हेतु समस्त व्यवस्था यथा आवश्यक उपस्करों फर्निचर बर्तन, क्राकरी आदि की व्यवस्था अपने खर्च पर ही करनी होगी। बंदोवस्तधारी द्वारा पर्यटक स्थल पर आने वाले पर्यटकों/श्रधालु भक्तों से अच्छा व्यवहार करना होगा तथा उन्हें उत्तम एवं स्वच्छ सामान की आपूर्ति करनी होगी।
8. वैसे पर्यटक जो बाबा सिद्धनाथ रेस्ट हॉउस में ठहरते है, उन्हें उनकी मांग के अनुसार भोजन इत्यादि की आपूर्ति बंदोवस्तधारी को करनी होगी।
9. इस जलपान गृह से विक्री किये जाने वाली मुख्य सामाग्रियों का दर प्रदर्शित करना होगा एवं श्रद्धालुओं से उचित एवं समीचीन मूल्य ही प्राप्त करेंगे।
10. बराबर जलपान गृह परिसर की साफ–सफाई इत्यादि की व्यवस्था बंदोवस्तधारियों को स्वयं करनी होगी, तथा वे परिसर को स्वच्छ एवं कुड़ा रहित साफ रखेंगे।
11. बराबर जलपान गृह से संबंधित देय बिजली शुल्क, जलकर एवं देय अन्य शुल्क का स्वयं भुगतान करेंगे।
12. बन्दोबस्ती लेने वाले व्यक्ति को जलपान गृह/होटल/ढावा चलाने का अनुभव होना आवश्यक है तथा वैसे व्यक्ति को बन्दोबस्ती में प्राथमिकता दी जायेगी।